भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **5080**

दिनांक 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात

5080. श्री वी. वैथिलिंगम:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए भारत-अमरीका टैरिफ/व्यापार समझौतों के अंतर्गत कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात से संबंधित टैरिफ में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो उन कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिन पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है या हटा दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय किसानों की आय, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था और घरेलू कृषि बाजार पर इस समझौते के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात के बदलते परिवेश पर विचार किया है जिसमें अमरीकी टैरिफ में वृद्धि ने भारतीय कृषि वस्तुओं पर नए दबाव पैदा किए हैं जबकि विविध वैश्विक बाजारों में अवसर पैदा हुए हैं;

(घ) सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर उभरते गंतव्यों को बागवानी, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और विशिष्ट फसलों सहित उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला की आपूर्ति करने के लिए किसानों, उत्पादक समूहों और कृषि व्यवसाय फर्मों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) सरकार द्वारा बाजार से जुड़ी किसान सहायता में वृद्धि करने, अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन क्षमता में सुधार करने, भंडारण और शीत शृंखला प्रणालियों का उन्नयन करने और विदेशों में नीतिगत उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत की कृषि-निर्यात क्षेत्र में स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं; और

(च) क्या यह सच है कि सस्ते कृषि आयात से देश में छोटे और सीमांत किसानों को नुकसान होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या सुरक्षात्मक उपाय प्रस्तावित या कार्यान्वित किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) और (च)

(i) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) ने दिनांक 2 फरवरी, 2026 को व्यापार समझौते की घोषणा की। इसके लिए एक संयुक्त वक्तव्य दिनांक 7 फरवरी, 2026 को जारी किया गया। दिनांक 7 फरवरी 2026 को, रूस से तेल आयात करने के कारण भारत के कुछ निर्यातों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% अतिरिक्त यथा मूल्य टैरिफ हटा दिए गए। अंतरिम समझौते के निष्कर्ष के अध्याधीन, अमेरिका कुछ भारतीय वस्तुओं को अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान करेगा। भारत ने सावधानीपूर्वक तैयार की गई अपवर्जन श्रेणी के माध्यम से अपने कृषि क्षेत्रों को पूरी तरह से संरक्षित किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि चावल, गेहूं, मुर्गी, डेयरी, सोयामील, मक्का, बाजरा, मूंगफली, शहद, तंबाकू आदि जैसे प्रमुख उत्पादों पर समझौते में कोई टैरिफ रियायतें प्रदान नहीं की गई हैं। समग्र रूप से, समझौते में दी गई रियायतों की शर्तों से भारतीय किसानों को लाभ होने और निर्यात के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

(ii) यह समझौता भारतीय किसानों और मछुआरों को समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, मसाले, चाय और कॉफी, तिलहन और कुछ फलों जैसे अपने मजबूत क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगा। साथ ही, यह कृषि वानिकी से जुड़े उत्पादों जैसे वनस्पति रस, मोम, मेवे, रोपण सामग्री, नारियल, खसखस, सब्जियां और कुछ जड़ वाली सब्जियों, और प्रसंस्कृत फल उत्पादों जैसे जूस, पल्प और जैम के लिए एक बड़े बाजार में अधिमान्य टैरिफ पहुंच प्रदान करेगा। टैरिफ में दी गई रियायतों से भारतीय किसानों को 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विशाल अमेरिकी वार्षिक आयात बाजार में बेचने के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा। अंतरिम व्यापार समझौते के संबंध में अधिक जानकारी निम्नवत वेब लिंक:
https://www.commerce.gov.in/wp-content/uploads/2026/03/FTAs-achievement.pdf पर भी उपलब्ध है।

(iii) भारत ने चुनिंदा कृषि उत्पादों पर सीमित और सावधानीपूर्वक निर्धारित टैरिफ रियायतों का प्रस्ताव किया है, इसके साथ ही कोटा, चरणबद्ध रियायत और आंशिक शुल्क कटौती के माध्यम से घरेलू हितों का भी ध्यान रखा है। सेब, अखरोट और सोयाबीन तेल जैसे उत्पादों पर, जिनका भारत में घरेलू मांग उत्पादन से अधिक होने के कारण काफी मात्रा में आयात होता है, रियायत सीमित और कोटा आधारित है ताकि आयात से स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिल सके। यह कोटा वर्तमान वैश्विक आयात के अनुरूप है, जिससे भारतीय किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपूर्ति की कमी पूरी हो जाती है। इसी प्रकार, बढ़ती मांग को देखते हुए, पशु आहार संबंधी उत्पादों जैसे डीडीजीएस और गैर-जीएम लाल ज्वार पर सीमित मात्रा में और आंशिक टैरिफ रियायतें दी गई हैं ताकि घरेलू चारा फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसी तरह, कपास पर भी गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कपास और कपास उत्पादों का आयात और निर्यात

दोनों के भारत के मौजूदा व्यापार पैटर्न को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कोटा आधारित रियायत दी गई है।

(iv) दिनांक 20 फरवरी, 2026 को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारस्परिक टैरिफ को अमान्य घोषित करने के निर्णय के अनुसरण में, पारस्परिक टैरिफ अब लागू नहीं हैं। अमेरिकी सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी कर सभी देशों से कुछ उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया है। सरकार इसके बाद के सभी घटनाक्रमों के प्रभावों का अध्ययन कर रही है और अमेरिकी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है।

(घ) एवं (ड.)

सरकार अमेरिकी टैरिफ उपायों के भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए हितधारकों (निर्यातकों और उद्योग) के साथ मिलकर एक व्यापक बहुआयामी कार्यनीति पर काम कर रही है, जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन सहभागिता, आरबीआई के व्यापार राहत उपायों के माध्यम से तत्काल राहत, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, आगामी पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि, हमारे निर्यातकों को सहायता और सहयोग प्रदान करने वाले नए निर्यात संवर्धन मिशन जैसे निर्यात संवर्धन उपाय, नए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाना और मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर उपयोग करना शामिल है। यह प्रत्याशा है कि इन उपायों से भारत के व्यापारिक संबंधों में विविधता और लचीलापन भी बढ़ेगा। उपर्युक्त कुछ उपायों का विवरण निम्नवत है:

1. निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम)

यह मिशन निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित फ्रेमवर्क प्रदान करेगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक कुल 25,060 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है। ईपीएम कई अलग-अलग योजनाओं से एकल, परिणाम आधारित और अनुकूलनीय तंत्र की ओर एक कार्यनीतिक बदलाव है, जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और निर्यातकों की बदलती जरूरतों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है।

यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होगा:

i. निर्यात प्रोत्साहन –ब्याज सब्सिडी, निर्यात फैक्टरिंग, संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण संवर्धन सहायता जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से एमएसएमई के लिए लागत प्रभावी व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है।

ii. निर्यात दिशा – गैर-वित्तीय सहायक कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं, जिनमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और व्यापार मेलों में भागीदारी में सहयोग, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति और व्यापार आसूचना एवं क्षमता-निर्माण पहल शामिल हैं।

इस मिशन को भारतीय निर्यात को बाधित करने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करने हेतु डिजाइन किया गया है, जिनमें सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुँच, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुपालन की उच्च लागत, अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और खंडित बाजार पहुंच, और आंतरिक और कम निर्यात-गहन वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक संबंधी असुविधाएँ शामिल हैं।

ईपीएम के तहत, हाल ही में वैश्विक टैरिफ में हुई बढ़ोतरी से प्रभावित क्षेत्रों, जैसे कि वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएं और समुद्री उत्पाद को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। इन कार्यकलापों से निर्यात ऑर्डर बनाए रखने, रोजगार सुरक्षित करने और नए भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

2. **वित्तीय सहायता योजना (एफएएस)** - वाणिज्य विभाग, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के माध्यम से, देश भर से एपीईडीए के सदस्य निर्यातकों को, एपीईडीए की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत उनके अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के लिए निम्नवत तीन व्यापक क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

i. अवसंरचना विकास योजना - पैकिंग/ग्रेडिंग लाइनों के साथ पैकहाउस सुविधाओं की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड परिवहन आदि के साथ प्री-कूलिंग इकाई, केले जैसी फसलों की हैंडलिंग के लिए केबल सिस्टम, विकिरण, वाष्प ताप उपचार, गर्म पानी में डुबोकर उपचार जैसी प्री-शिपमेंट उपचार सुविधाएं और सामान्य अवसंरचना सुविधाएं, रीफर वैन और व्यक्तिगत निर्यातकों के मौजूदा अवसंरचना में कमियों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता।

ii. गुणवत्ता विकास योजना - प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण खरीदने, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने, पानी, मिट्टी, अवशिष्टों और कीटनाशकों आदि का पता लगाने और परीक्षण के लिए खेत स्तर के निर्देशांक कैप्चर करने वाले हैंडहेल्ड उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

iii. बाजार संवर्धन योजना - इस सहायता में निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग मानकों का विकास और मौजूदा पैकेजिंग मानकों का उन्नयन शामिल है।

वित्तीय सहायता संबंधी दिशा-निर्देशों का विवरण एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर "स्कीम" टैब के अंतर्गत उपलब्ध है।

3. निर्यातकों के लिए **ऋण गारंटी योजना** को भी मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को पात्र निर्यातकों, जिनमें एमएसएमई भी शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए एवं उभरते बाजारों में विविधीकरण को सहयोग मिलने की उम्मीद है। संपार्श्विक मुक्त ऋण पहुंच उपलब्ध कराने से तरलता मजबूत होगी, सुचारू व्यावसायिक परिचालन सुनिश्चित होगा और भारत को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को बल मिलेगा।

4. **व्यापार राहत उपाय**: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पात्र प्रभावित निर्यातकों के लिए व्यापार राहत उपायें भी शुरू किए हैं, जिनमें ऋण पुर्नभुगतान स्थगन और निर्यात ऋण की अवधि बढ़ाने का प्रावधान शामिल है।

5. **मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना**:- सरकार का उद्देश्य निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना है और इसने कई मुख्य व्यापारिक साझेदारों के साथ सोलह (16) मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और छः (06) अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि हमारे निर्यातक जापान, कोरिया, यूएई आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के लाभों का बेहतर उपयोग कर सकें और हाल ही में संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते जैसे कि ईएफटीए देशों, यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौतों से उत्पन्न अवसरों का प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकें। सरकार ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता संपन्न कर ली है।

6. **कोल्ड स्टोरेज संबंधी योजना -** सरकार विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है जिनके तहत देशभर में बागवानी उत्पादों, जिनमें शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पाद भी शामिल हैं, के लिए पोस्ट-हार्वेस्ट प्रसंस्करण और कोल्ड चेन अवसंरचना स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत, देश में पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड परिवहन, राइपनिंग चैंबर, एकीकृत कोल्ड-चेन अवसंरचना, सहायक प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) जैसी योजनाओं को भी कार्यान्वित करता है, जिसमें एकीकृत कोल्ड चेन के घटक और मूल्यवर्धन अवसंरचना शामिल हैं।
